नकल सं०- 493/16

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

96AC 779693

प्रमाणित किया जाता है कि रूपये 10/– मात्र का स्टाम्प **नकल संख्या** 493 /2016 के साथ संलग्न किया गया है, जो **दिनांक** 18.12.12 से **बही नम्बर** IV की **जिल्द नम्बर** 243 के **सुफे** 389 / 398 के **दस्तावेज नम्बर** 291 सत्य एवं प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसे आज **दिनांक** 07.04.16 को रजिस्ट्रार कार्यालय **उप–निबन्धक चतुर्थ, मेरठ** से नकल के रूप में जारी की गयी है।

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTA

F 650788

MOHD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT.

पूरक विलेख

स्टाम्प शुल्क 800/-

मैं कि अमित गिरि पुत्र श्री शिव कुमार गिरि निवासी बी-290, डिफेन्स एनक्लेव, सरधना रोड, मेरठ का हूँ :-

यह कि व्यवस्थापकों ने दिनांक 23.05.2011ई0 को श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनवाया, जिसकी शुरूआत अंकन 11000/- रुपये से की गयी। यह कि उक्त ट्रस्ट की रजिस्ट्री बही नं0-4, जिल्द नं0-229 के पृष्ठ 325/346 में सिलसिला नम्बर-112 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार (चतुर्थ) मेरठ हुई। यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय बी-290, डिफेन्स एनक्लेव, कंकरखेड़ा, सरधना रोड, मेरठ में हैं।

मिलानकर्ता..........

पुष्टिकर्ता..........

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 684560

यह कि उक्त ट्रस्ट डीड में व्यवस्थापकों को यह अधिकार दिया गया वो ट्रस्ट डीड में संशोधन/अमेण्डमेन्ट/एडीशन कर सकें और इसी के अनुपालन में उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट में निम्न एडीशन किये।

यह कि व्यवस्थापकों ने दिनांक 21.11.2012 को ट्रस्ट की एक मीटिंग ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय बी–290, डिफेन्स एनक्लेव, कंकरखेड़ा, सरधना रोड, मेरठ में की जिसमें सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पास हुये।

यह कि ट्रस्ट डीड दिनांक 21.11.2012 के उद्देश्यों में निम्न उद्देश्यों और बढ़ाये गये तथा इस कार्य के लिये ट्रस्ट के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

1. यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों के संदर्भ में निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों का पालन सम्बद्धता, परमिशन प्रदान करने वाले संगठन व संस्था आदि के अनुरूप किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित नियम शामिल हैं :–

   1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

   2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

निष्पादनकर्ता ....

द्वितीय ....

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 DEC 2012

BF 684559

3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिखा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5) संस्थान शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

मिलानकर्ता.....

पुष्टिकर्ता.....

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 662941

6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. यह कि समाज के कल्याण के लिये परोपकार के कार्य, कल्याणकारी कार्य व चैरीटी के कार्य करना।

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 662940

यह कि पूरक विलेख ट्रस्ट डीड दिनांक 23.05.2011 का पार्ट एण्ड पार्सल रहेगी। ट्रस्ट के बाकी नियम एवं उद्देश्य ट्रस्ट डीड दिनांक 23.05.2011 वाले ही रहेंगे।

लिहाजा यह पूरक विलेख गवाहों के सामने तहरीर कर दी ताकि सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे।

ह० सत्यपाल सिंह
पुत्र स्व० श्री कलवा सिंह
नि० ग्राम चन्दसारा,
जि० मेरठ।

ह०

KR. MOHD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT

तहरीर दिनांक 18.12.2012 मसविदा श्री मौ0 अकरम खां, एडवोकेट, व टाईप कर्ता विपिन कुमार

KR. MOHD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

IV - 112(1)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 453386

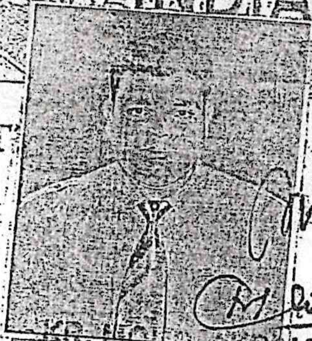

MD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT.

ATTESTED

AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT.

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क अंकन–800/– रूपये

हम कि अमित गिरि पुत्र श्री शिव कुमार गिरि, निवासी बी–290, डिफेन्स एनक्लेव, सरधना रोड, मेरठ व डा0 (श्रीमती) अनिता गोस्वामी पत्नि श्री अमित गिरि निवासी बी–290, डिफेन्स एनक्लेव, सरधना रोड, मेरठ के हैं, जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण/ट्रस्टीगण कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करनें की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये को

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 27284

16 MAY

इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं व घोषणा करते हैं कि :—

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट (SHREE SIDDHI VINAYAK EDUCATIONAL & WELFARE TRUST)** होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय बी–290, डिफेन्स एनक्लेव, सरधना रोड, मेरठ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन **11,000/–** रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से

Chairman
Kamla D... International School
Sh...puri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 272844

16 MAY 2011

प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

4. यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फ़ण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri -
Pocket-A, Phase-2, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 272845

16 MAY 2011

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य–

(1) मेडिकल कॉलिज, डेन्टल कॉलिज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।

(2) इंजीनियरिग कालिज की स्थापना व संचालन करना ।

(3) कम्प्यूटर कौचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।

(4) बेरोजगार, जरूरतमन्द एवं बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान कराना।

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

(5) लड़के व लड़कियों के लिये अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

(6) स्कूल, कालिज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन व पोस्ट ग्रेजुवेशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यवसायिक कोर्स हेतू कॉलिजों की स्थापना करना व संचालन करना।

(7) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

(8) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(9) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल/ छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(10) सभी प्रकार की फिल्मे, फिल्म, फीचर फिल्म, टेली फिल्म व सिरियल आदि का निर्माण कराना।

(11) ट्रस्ट के लिये कम्पनी बनवाना व कम्पनी का संचालन कराना व देश विदेश में चीजों व सामान का आयत व निर्यात कराना।

(12) धर्मशाला, आश्रम, क्रेश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

(13) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।

(14) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेज प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

(15) समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।

(16) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

(17) गंगा को प्रदुषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफ़ारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना।

(18) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटैस्ट तकनीक द्वारा करना।

(19) अस्पताल, औषद्यालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(20) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षा रोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

(21) निरीह प्राणियों, पशुओं एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(22) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(23) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

(24) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(25) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।

(26) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

(27) यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशॉप आयोजित करना।

कार्य क्षेत्र–

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्त्तव्य एवं नियुक्ति–

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Chairman
..la Devi International School
..radhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

10. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा। बांकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

11. यह कि अमित गिरि पुत्र श्री शिव कुमार गिरि, निवासी बी–290, डिफेन्स एनक्लेव, सरधना रोड, मेरठ उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व डा0 (श्रीमती) अनिता गोस्वामी पत्नि श्री अमित गिरि निवासी बी–290, डिफेन्स एनक्लेव, सरधना रोड, मेरठ उक्त उपरोक्त ट्रस्ट की प्रथम सचिव होगें। श्री शिव कुमार गिरि पुत्र श्री जयराम गिरि निवासी ग्राम रामनगर, जिला बागपत व श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री शिव कुमार गिरि निवासी ग्राम रामनगर, जिला बागपत उक्त ट्रस्ट के सदस्य होंगे। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे।

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग–पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।

12. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे :–

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैद्य होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

समयनुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा या केवल अध्यक्ष द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

13. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्वता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है कि तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

14. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

15. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल हैं, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

17. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय–समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्ट के लाभ के लिये अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय–विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा या केवल अध्यक्ष को ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय–विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष, व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट कि सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज़ पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टीयों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

20. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

21. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

22. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स–खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा या केवल अध्यक्ष द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

23. यह कि अध्यक्ष को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

24. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. यह कि अध्यक्ष ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

26. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जोकि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

27. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

28. यह कि ट्रस्ट डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।

29. यह कि एतदद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापकों ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

Chairman
a Devi International School
dhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Pocket-A, Phase-2, Meerut

मुकिर अमित गिरि के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

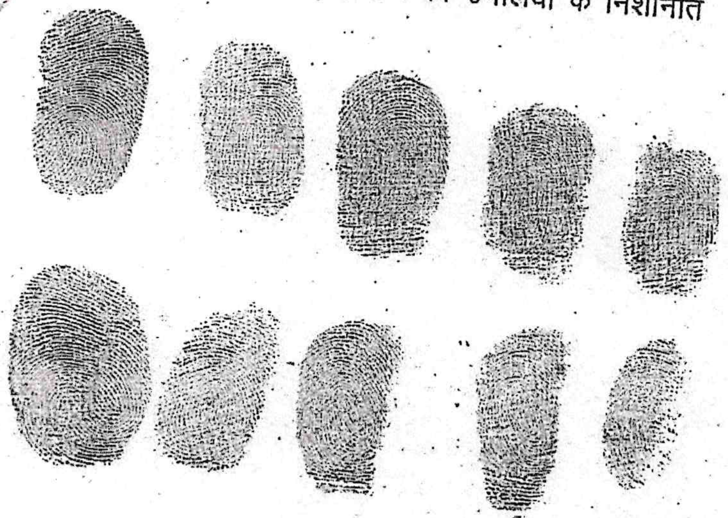

मुकिरा डा0 श्रीमती अनिता गोस्वामी के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

KR. MOHD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT.

Chairman
Kamla Devi International School
Shradhapuri, Phase-II, Meerut

Principal
Kamla Devi International School
NH-58, Shradhapuri
Phase-2, Meerut

तहरीर तारीख 23–05–2011 मसविदा मौ0 अकरम खान एडवोकेट टाईपकर्ता विपिन कुमार।

KR. MOHD. AKRAM KHAN
Advocate
MEERUT.